UPGK040783582026

न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०)कोर्ट संख्या–03/ए0सी0जे0एम0, गोरखपुर।

मुकदमा संख्या–3339/2025

स्टेट----------बनाम----------अजय कुमार पाण्डेय वगैरह।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या-5548/2026

मुकदमा अपराध संख्या-306/2024

अंतर्गत धारा-323,504,506 भा०द०सं०।

थाना- पिपराईच, जनपद- गोरखपुर।

दिनांक-07.05.2026

1- पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए।

2- प्रार्थी अजय पाण्डेय की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.05.2026 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का पासपोर्ट का File No. LK1077091806526 व Letter Ref No.-SCN/1053411676/26 है। पूर्व में पासपोर्ट जारी किया जा चुका है। नवीनीकरण हेतु प्रार्थी ने आवेदन किया है। किन्तु पासपोर्ट अथारिटी ने प्रार्थी का आवेदन इस आधार पर जारी नहीं किया है कि प्रार्थी के विरुद्ध मु0अ0सं0-306/2024, धारा-323,504,506 आई0पी0सी0, थाना-पिपराईच, जनपद-गोरखपुर में दर्ज किया गया है। उक्त मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। प्रार्थी ने अपनी जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकृत करा ली है। प्रार्थी का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी की पत्रावली आरोप हेतु संस्थित है। प्रार्थी को अपने निजी/व्यावसायिक कार्य से विदेश जाना है। प्रार्थी का पासपोर्ट LK1077091806526 का रिन्युअल नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी का पासपोर्ट रिन्युअल किया जाना आवश्यक है। इस कारण संबंधित प्राधिकारी को निर्देशित किया जाना आवश्यक है। जिससे प्रार्थी का पासपोर्ट रिन्युअल किया जा सके। प्रार्थी के विरुद्ध अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। प्रार्थी व्यवसायी है। व्यवसाय की समृद्धि हेतु पासपोर्ट रिन्युअल कराकर जाना चाहते हैं। अतः माननीय विधि व्यवस्था वसु यादव बनाम भारत संघ और अन्य WRIT C NO.-29605/22 दिनांकित 16.12.2022 के आदेश में नवीनीकरण करने का आदेस संबंधित प्राधिकारी को देने की मांग की गयी है।

3- उक्त प्रार्थना पत्र अभियोजन अधिकारी से आख्या आहूत की गयी, जिन्होनें उक्त प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया है एवं प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की मांग की है।

4- सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के द्वारा पासपोर्ट नवीनीकरण हेतु आवेदन किये जाने का कथन किया गया है,जिसका File No. LK1077091806526 व Letter Ref No.-SCN/1053411676/26 है। किन्तु प्रस्तुत मामले में थाना–पिपराईच में मुकदमा संख्या-3339/2025, मुकदमा अपराध संख्या-306/2024, अंतर्गत धारा-323,504,506 भा0द0सं0 पंजीकृत होने के कारण उसके पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है। आदेश पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले में अभियुक्त की जमानत दिनांक 20.04.2026 को हो चुकी है। अपराध सामान्य प्रकृति का है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **सपना उर्फ सपना चौधरी बनाम उ०प्र० राज्य तथा अन्य [2024 AHC LKO 28406]** में यह अभिमत प्रकट किया है कि अभियुक्त का विदेश जाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 तथा 19(1)(g) के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाग है तथा न्यायालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने पर कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित

विधिव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के हक में अनापत्ति प्रमाण–पत्र कुछ शर्तों के साथ निर्गत किया जाना विधि सम्मत एवं न्यायसंगत होगा।

आदेश

6– अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया जाता हैः–

(1). संबंधित पासपोर्ट अधिकारी भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश सूचना संख्या–GSR–570(E) दिनांक 25.08.1993 के अनुपालन में अभियुक्त के हक में एक वर्ष से अधिक समय के लिये पासपोर्ट निर्गत नहीं करेंगे।

(2). अभियुक्त जिस अवधि के लिये भारतीय परिक्षेत्र में नहीं रहेगा उस समय वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से वाद की कार्यवाही में सहभागिता करेगा तथा साक्षीगण के परीक्षण में सहयोग करेगा। अभियुक्त इस आशय की अंडरटेकिंग दाखिल करे।

(3). न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जब कभी व्यक्तिगत रूप से तलब किया जायेगा तो अभियुक्त वाद की कार्यवाही में सहभागिता करने हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति रहेगा। अभियुक्त इस आशय की अंडरटेकिंग दाखिल करे।

(4). अभियुक्त विदेश जाने से पूर्व न्यायालय की अनुमति प्राप्त करेगा। अभियुक्त इस आशय की अंडरटेकिंग दाखिल करे।

(5). अभियुक्त इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करे कि उपरोक्त एक वर्ष की अवधि के दौरान जो विद्वान अधिवक्ता उसकी ओर से इस वाद की कार्यावाही अग्रसारित करने हेतु उपस्थित होंगे, उनका नाम मय रजिस्ट्रेशन नम्बर सशपथ दाखिल करेगा।

कार्यालय आदेश का कड़ाई से अनुपालन करे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 25.06.2026 को पेश हो। साक्षीगण जरिए समन तलब हो।

(अविरल सिंह)
अपर सिविल जज (सी०डि०)कोर्ट सं0–03/
ए0सी0जे0एम0, गोरखपुर।
जे0ओ0कोड–यू0पी0–2547